

MADHAV INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, GWALIOR

(A Govt. Aided UGC Autonomous NAAC Accredited Institute Affiliated to RGPV, Bhopal, M.P.)

क्रमांक: मु.ऑ./2018-19/83

दिनांक : 10.09.2018

सूचना

संचालक तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्र. एफ-14-2 /2008/42(2) भोपाल दिनांक 9/7/2018 के अनुसार म.प्र. शासन द्वारा सत्र 2018-19 से विक्रमादित्य नि: शुल्क शिक्षा योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना प्रारंभ की गई है अपर सचिव म. प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अनुसार इस योजना हेतु शर्त निम्नानुसार है

•पात्रता की शर्तें

नवीन छात्रों हेतु -


1. जेईई मेन्स परीक्षा की रैंक 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) के अंतर्गत हो ।
2. माता/पिता का अंगठित कर्मकार का पंजीयन का प्रमाण पत्र/कार्ड ।
3. 10वीं, 12 वीं की अंकसूची ।
4. फीस जमा की रसीद ।
5. अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिये अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची ।
6. प्रवेश परीक्षा (JEE MAINS / NEET / CLAT etc.) की अंकसूची ।
7. शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क (कॉशन मनी को छोड़कर) का विवरण रसीद आदि ।
8. आधार नं समग्र आईडी मूल निवासी ।
9. आधार लिंक बैंक खाता ।

•योजना की अन्य शर्तें

1. इस योजनांतर्गत लाभ पाने वाले छात्रों को प्रवेशित संस्था के नियमानुसार विषय तथा पाठ्यक्रम को समय सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा अन्यथा यह लाभ बंद कर दिया जायेगा।
2. समस्त म.प्र. के युवा जो इस योजना के लाभार्थी होंगे व उनका परिवार स्वेच्छा से शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत म.प्र. सरकार द्वारा स्थापित फंड में उनके जैसे अन्य छात्रों की सेवा हेतु योजना के अंतर्गत प्रदान की गई राशि को वापिस जमा करना चाहेंगे ऐसा कर सकेंगे।

•योजना में आवेदन की प्रक्रिया

1. छात्र/छात्राओं द्वारा शैक्षणिक शुल्क की छूट/प्रतिपूर्ति हेतु www.scholarshipportal.mp.nic.in पर रजिस्ट्रेशन कर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा।
2. छात्र/छात्राएँ पोर्टल पर लॉगिन कर योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन करेंगे।
3. छात्र/छात्राओं को अपना आधार नं एवं माता पिता का असंगठित कर्मकार का पंजीयन क्रमांक ऑनलाईन आवेदन में भरना होगा।
4. आवेदन करते समय विद्यार्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची प्रवेश परीक्षा की अंकसूची (जैसे JEE MAINS & NEET इत्यादि) शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क का विवरण एवं रसीद इत्यादि अपलोड करना होगा।
5. छात्र/छात्राओं द्वारा शैक्षणिक शुल्क की छूट एवं प्रतिपूर्ति का ऑनलाईन भरा हुआ आवेदन, प्रिंट कर मय दस्तावेजों के सहित संस्था में जमा करना होगा।


(डॉ. आर.के.पण्डित)
निदेशक 11.9.18

प्रतिलिपी :-

- 1 संचालक तकनीकी शिक्षा म.प्र. शासन भोपाल।
- 2 प्राचार्य, डॉ भीमराव अम्बेडकर पालिटेक्निक कॉलेज ग्वालियर
- 3 डीन एकादमिक।
- 4 डीन स्टूडेंट वेलफेयर।
- 5 समस्त विभागाध्यक्ष।
- 6 समस्त सूचना पटल।
- 7 समस्त होस्टल वार्डन की और सूचनार्थ।
- 8 निदेशक कार्यालय।
- 9 रजिस्ट्रार।
- 10 वैब मैनेजर, एमआईटीएस।
- 11 प्रवेश शाखा।
- 12 संबंधित फाईल।